रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221348
CG-DL-E-26082020-221348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
No. 422]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 528(अ).—माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन यथापेक्षित, प्रारूप नियमों को, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग), की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, ताकि इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ 12 सितंबर, 2019 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब केंद्रीय सरकार, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण), नियम 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 (इसके पश्चात इसे "उक्त नियम" कहा गया है), में नियम 56 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"56. प्राधिकृत उपयोगकर्ता - (1) धारा 17 के अधीन प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन भौ.उ. 3 प्ररूप में रजिस्ट्रार को किया जाएगा और साथ में एक विवरण देना होगा कि वह रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का उत्पादक होने का दावा कैसे कर रहा है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन की प्रति को भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अग्रेषित करेगा और रजिस्ट्रार को इससे अवगत कराएगा।"

3. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (1) में, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) जहाँ धारा 17 की उपधारा (3) के उप खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जर्नल में विज्ञापित या पुनः विज्ञापित आवेदन पर आपत्ति की कोई सूचना फ़ाइल नहीं की जाती या जहाँ आपत्ति फ़ाइल की जाती है और वह खारिज कर दी जाती है, वहां रजिस्ट्रार प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर के भाग ख में दर्ज करेगा और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की मुहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

4. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (2) में, खंड (च) और (छ) का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (3) में, निम्नलिखित का लोप किया जाएगा:

"भौगोलिक उपदर्शन की मढ़ी हुई समाकृति जो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के

प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के समय दी गई है, ऐसे अनुरोध के साथ दी जाएगी।" ।

6. मूल नियम की पहली अनुसूची में,

(क) प्रविष्टि 3क को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:

3क	धारा 17, नियम 56 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	10	भौ.उ. 3

(ख**)** प्रविष्टि 3ख का लोप किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 3ग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:

3ख	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए [नियम 60 की धारा 18 उप-नियम (1) की उपधारा (2)]	10	भौ.उ. 3

7. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में,

(क) निम्नलिखित प्ररूप सं. में पंक्ति का लोप किया जाएगा:

भौ.उ. 3	धारा 18(5), नियम 59	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध	3ख

(ख) निम्नलिखित प्ररूप सं.

भौ.उ. 3	18(2), नियम 60(1)	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए	3ग

को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:

भौ.उ. 3	18(2), नियम 60(1)	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए	3ख

8. उक्त नियम में प्ररूप भौ.उ. 3 को निम्नलिखित प्ररूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002

प्ररूप भौ.उ. 3क

प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन [धारा 17 (1), नियम 56 (1)]

शुल्क 10 रुपए [पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3क देखें]

(1) आवेदक का नाम (प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोगकर्ता): ___________________________

(2) आवेदक का पता ____

(3) सेवार्थ पता (यदि उपरोक्त से भिन्न है): __________________________________

(4) रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन जिसके लिए आवेदन किया गया है: ________________

(5) ई-मेल: ____

(6) दूरभाष/मोबाइल नं.:_______________________________________

घोषणा:

(1) मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मामले का कथन और भौगोलिक उपदर्शन के रूप में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम) ________ को आवेदन के प्रति की विधिवत् सेवा का साक्ष्य संलग्न किया है।

(2) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(3) मैं वचन देता हूं कि यदि कोई भी जानकारी गलत या मिथ्या पायी जाती है, तो मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है और यदि पहले से स्वीकृत है, तो मेरा रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है और मेरा नाम रजिस्टर के भाग ख से हटा दिया जाएगा।

दिनांक:

स्थान: हस्ताक्षर

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002

प्ररूप भौ.उ. 3ख

प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन [धारा 18 (2), नियम 60 (1)]

शुल्क 10 रुपए [पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3ख देखें]

आवेदक का नाम (प्राधिकृत उपयोगकर्ता): ______________________________________

आवेदक का पता: ____

सेवार्थ पता, यदि उपरोक्त से भिन्न है: ______________________________________

रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन जिसके लिए आवेदन किया गया है : _________________

ईमेल ____

दूरभाष/मोबाइल नं. :____

घोषणा:

मैं अभिस्वीकृत करता हूं कि नवीकरण के उपरांत प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में मेरा रजिस्ट्रीकरण 10 वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि के लिए जब तक भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत होना जारी रहेगा, जो भी कम हो, के लिए वैध होगा।

दिनांक:

स्थान: हस्ताक्षर

[फा. सं. पी-24027/4/2018-आईपीआर–IV(भाग1)]

रविंदर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 176(अ) दिनांक 8 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 528(E).—Whereas the draft rules, further to amend the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 were published as required under sub-section (3) of by Section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade) number G.S.R. 645 (E) dated the 12th September, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th September, 2019;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 (hereinafter referred as the "said rules"), for Rule 56 following Rule shall be substituted, namely:-

"56. Authorised User.-(1) An application for registration of authorized user under section 17 may be made to the Registrar in Form GI-3 accompanied by a statement of case as to how the applicant claims to be the producer of the registered geographical indication.

(2) A copy of application made under sub-rule (1) shall be forwarded to the registered proprietor of geographical indication and intimate the same to the Registrar."

3. In the said rules, in rule 59 for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(2) "Where no notice of opposition is filed to an application advertised or re-advertised in the Journal within the period specified under sub-clause (e) of sub-section (3) of Section 17 or where an opposition is filed and it is dismissed, the Registrar shall enter the authorised user in Part B of the register and shall issue a registration certificate with the seal of Geographical Indication Registry".

4. In the said rules in rule 59, in sub-rule (2), clauses (f) and (g) shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (3), the words-:

"An unmounted representation of the geographical indication exactly as shown in the form of application for registration thereof at the time of registration shall accompany such request." shall be omitted.

6. In the said rules, in the FIRST SCHEDULE-,

a) for the entry 3A, the following entry shall be substituted, namely:-

"

3A	On application for the registration of an authorised user of a registered geographical indication under section 17, Rule 56(1)	10	GI-3

"

b) the entry 3B shall be omitted ;

c) for the entry 3C, the following entry shall be substituted, namely:-

"

3B	For renewal of an authorised user (sub-section (2) of section 18 sub-rule(1) of rule 60)	10	GI-3

"

7. In the said rules, in the SECOND SCHEDULE-,

a) the following Form number, :

"

GI-3	Section 18(5), rule 59	Request for issuance of a registration certificate as an authorised user.	3B

"

shall be omitted;

b) for the Form number

"

GI-3	Section 18(2), rule 60(1)	For renewal of an authorised user	3C

"

the following form number shall be substituted, namely:-

"

GI-3	Section 18(2), rule 60(1)	For renewal of an authorised user	3B

"

8. In the said rules, for Form GI 3, the following form shall be substituted, namely:-

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002

Form GI 3A

Application for the Registration of an Authorized User [Section 17 (1), Rule 56 (1)]

Fee: Rs. 10 [See entry No.3A of the First Schedule]

(1) Name of the Applicant (proposed Authorized user: ______________________

(2) Address of the applicant: ____

(3) Address of service (if different from Above): __________________________

(4) Registered Geographical Indication for which application is made:
____

(5) Email id: ____

(6) Phone/mobile number :____

Declaration:

(1) I hereby declare that I have enclosed the statement of case and evidence of due service of copy of my application to the registered proprietor (Name of registered proprietor) for____________, registered as a Geographical Indication.

(2) I also declare that all the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

(3) I undertake that if any of the information is found incorrect or false, my application may be rejected and if already accepted, my registration maybe revoked and my name removed from Part B of the register.

Date:

Place: SIGNATURE

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002

Form GI 3B

Application for Renewal of Registration of an Authorized User [Section 18 (2), Rule 60 (1)]

Fee: Rs. 10 [See entry No.3B of the First Schedule]

(1) Name of the Applicant (Authorised User): _____________________________

(2) Address of the Applicant: ____

(3) Address of service (if different from above): ____________________________

(4) Registered Geographical Indication for which application is made:
____

(5) Email id: ____

(6) Phone/mobile number :____

DECLARTION:

I acknowledge that my registration as an authorised user will be valid after renewal for a period of 10 years, or for such period as the geographical indication continues to be registered, whichever is lesser.

Date:

Place: SIGNATURE

[F. No. P-24027/4/2018-IPR-IV(Pt-1)]

RAVINDER, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 176 (E), dated 08th day of March 2002.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA